295

सख्या–504 / 2013 / 08(130) / XXVII(8) / 12
अलोटमेंट आई डी–R1304070001

प्रेषक,

प्रदीप सिंह रावत,
संयुक्त सचिव, (S013)
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त,कर, (4753)
उत्तराखण्ड,देहरादून।

वित्त अनुभाग–8 देहरादूनः दिनांकः 25 अप्रैल,2013

विषयः– वित्तीय वर्ष 2013–14 अनुदान संख्या–07 के अन्तर्गत पुर्नविनियोग की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्रांक–292–293 / आयु0क0उत्तरा0 / वाणि0क0 / दे0दून / बजट–अनुभाग / 2013–14,दिनांक 18.04.2013 के क्रम में सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 में अनुदान संख्या–07 के अन्तर्गत संलग्न बी0एम0–09 में अंकित विवरणानुसार क्रमशः ₹ 60.00 लाख(₹ साठ लाख मात्र) की धनराशि पुनर्विनियोग के माध्यम से आपके निवर्तन पर रखते हुये निम्न शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन व्यय किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक व्यय सीमित रखा जाय।यहॉ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता,जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है।ऐसा व्यय संबंधित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए।पूर्व जारी शासनादेशों एवं अन्य निर्धारित नियमों के दृष्टिगत कहीं कोई विसंगति की स्थिति संज्ञान में आती है,तो तत्काल प्रकरण पर शासन का मार्गदर्शन प्राप्त किया जायें।

3– धनराशि का किसी भी दशा में व्यवर्तन नहीं किया जाय।धनराशि का आहरण / व्यय मासिक व्यय की सारिणी बनाकर यथाआवश्यकता नियमानुसार ही किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

4– उक्त आवंटित धनराशि की व्यय की संकलित सूचना बी0एम0–13 पर प्रतिमाह अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दी जाय।

5– धनराशि उसी मद में व्यय की जाय जिसके लिए स्वीकृत की जा रही है व्यय में मितव्ययता के संबंध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निदेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

6– उक्त धनराशि का आहरण / व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका,उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली,2008 तथा शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों के नियमों के आलोक में नियमानुसार ही किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

7– इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2013–14 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–07 के लेखाशीर्षक–2040–बिक्री व्यापार आदि पर कर–00–001–निदेशन एवं प्रशासन–03–अधिष्ठान के

अन्तर्गत मानक मद 42–अन्य व्यय के नाम डाला जायेगा तथा सलग्न बी0एम0–09 के कॉलम–1 मे इंगित बचतों से वहन किया जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से तथा संलग्न पुनर्विनियोजन आई0डी0 सं0–**R1304070001** दिनांक 25.04.2013 द्वारा निर्गत किया जा रहा है।

संलग्नक–**बी0एम0–09**

भवदीय,

(प्रदीप सिंह रावत)
संयुक्त सचिव।

संख्या–504 / 2013 / 08(130) / XXVII(8) / 12,तद्दिनांकः

प्रतिलिपिः–**निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।**

1–महालेखाकार,उत्तराखण्ड,देहरादून।

2–निदेशक,कोषागार एवं वित्त सेवायें,उत्तराखण्ड,देहरादून को बी0एम0–09 की प्रति सहित अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित।

3–मुख्य कोषाधिकारी,देहरादून,उत्तराखण्ड।

4–एन0आई0सी0,सचिवालय परिसर,उत्तराखण्ड।

5–गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(प्रदीप सिंह रावत)
संयुक्त सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
(वित्तीय वर्ष 2012-2013)
बी .एम. - 09

अनुदान संख्या - 007
पुनर्विनियोग स्वीकृति आदेश संख्या - 504/2013/08(130)/XXVII(B)/2012

अलोटमेंट आईडी - R1304070001
दिनांक - 25-Apr-2013

(In Rupees)

क्रम संख्या	बजट प्राविधान तथा लेखाशिर्षक (1)	मानक मदवार अध्यावधिक व्यय (2)	वित्तीय वर्ष के अवधि में अनुमानित व्यय (3)	अवशेष सरप्लस समायोजित बनराशी (4)	लेखाशीर्षक जिसमे बनराशी स्थानान्तरित की जानी है (5)	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ -5 की कुल बनराशी (6)	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ -1 में कुल बनराशी (7)	अभियुक्ति
	2040 विक्री व्यापार आदि पर कर 00 800 अन्य व्यय 05 वैट के अन्तर्गत वापसी 00 वैट के अन्तर्गत वापसी (Non Plan Voted)				2040 विक्री व्यापार आदि पर कर 00 001 निदेशन एवं प्रशासन 03 अधिष्ठान 00 – (Non Plan Voted)			
1	42 - अन्य व्यय 80000000	0	74000000	6000000	42 - अन्य व्यय 6000000	6100000	74000000	
	योग			6000000	योग 6000000			

प्रमाणित किया जाता है कि पुनर्विनियोग से बजट मैनुअल के परिच्छेद 150,151,155,156 में उल्लिखित प्राविधानो एवं सीमाओ का उल्लंघन नही होता है।

पुनर्विनियोग किये जाने हेतु प्रपत्र 15 की मूल प्रति वित्तीय डाटा सेण्टर 23- लक्ष्मी रोड डालनवाला ,देहरादून को उपलब्ध करायी जाय

प्रदीप सिंह रावत
संयुक्त सचिव
वित्त विभाग
उत्तराखण्ड शासन।